- (a) whether a workshop o_n 'Role of Business i_n Consumer Awareness' was organised by ASSOCHAM o_n May, 27 1988:
- (b) if so, whether the extent of benefits, arising from recent concessions offered by way of reduction in Excise and Customs duties, passed on to the consumer was reviewed and considered therein, if so, what conclusions were arrived at; and
- (c) what further steps have since been taken to ensure that the benefits of the concessions were passed on to the consumers?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) A Workshop on the role of "Business in Consumer Awareness was organised by ASSOCHAM on 23rd May, 1993.

(b) The extent of benefits from recent concessions offered by way of reduction in excise and custom passed on to consumer was also reviewed in the Workshop. ASSOCHAM conducted a survey to determine the extent of benefits passed on by its members, This survey report was also discussed in the Workshop. The survey analysed product category and the excise reduction (ii) post-and-pre-Budget cise duties applicable to various products; and (iii) the excise duty reductions and pre_and-post-Budget maximum retail

An analysis of the survey of 42 companies as reported by ASSOCHAM claim that the companies engaged in the production of industrial goods and products like refrigerators, jeeps, tractors, fertilizers, pharmaceuticals, etc. have passed on the excise duty benefits. A few companies engaged in production of goods other than mentioned above was reported to have difficulties in passing on the excise duty concessions in full.

(c) Two meetings with the major trade tnd industry associations and representatives of Consumer Protection Organisations were taken by the Minister, Civil Surplies, Consumer Affairs and

Public Distribution on 20th April and 7th June, 1993. In the meetings, the Minister stressed the need for the industry to respond positively to the government's gesture in granting excise and customs duty concessions.

All the concerned administrative Ministries were directed to pursuade various. sectors of industry under their charge to pass on the rebate to the consumers and to take appropriate action. The forcement authorities of States Union Territories were also advised to take stern action against erring industries and traders under the Weights and Measures Act. Wide publicity was also given through national and regional newspapers drawing attention of the manufacturers and retailers to charge the revised reduced prices for prepacked commodities and to approse them of the legal position. The matter is under the closs watch of the Government.

सुपर बाजार में निगरानी कक्ष का कार्य-करण

*20. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या नागरिक ग्रापूर्ति उपभोक्ता मामल श्रीर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में उसकी सभी शाखाओं की प्रतिदिन की बिकी तथा अन्य जानकारी एकब्र करने के लिये एक निगरानी कक्ष कार्य कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे निगरानी कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों की पदवार संख्या कितनी है;
- (ग) इनके कार्य तथा प्रतिदिन बिक्री-बार ग्रौर वस्तु-बार एकव्रित की जा रही सूचना का ब्यौरा क्या हैं;
- (घ) इस निगरानी कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज की गई

शिकायतों की संख्या कितनी है तथा इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

- (ङ) क्या इस निगरानी कक्ष में एकवित जानकारी गोपनीय होती है ग्रौर क्या संसद सदस्यों ने इस संबंध में ग्रव तक कोई जानकारी मांगी है;
- (घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले ग्रौर सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी): (क) से (च) बाजार में निम्नलिखित गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिये एक मानीटरिंग कक्ष कार्य कर रहा है:-

- (1) क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों तथा छोटी शाखात्रों में पिछले दिन की नकद बिक्री:
- प्राथमिकता वाली बस्तुओं के स्टाक की स्थिति:
- (3) 26 गौण वस्तुम्रों के स्टाक की स्थिति ;
- (4) संसाधन एकको का पिछल दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता;
- (5) पैकिंग/पिसाई एककों का पिछले दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता : ग्रौर
 - (6) कोई ग्रन्य ग्राकस्मिक सूचना।

कुल मिलाकर 6 कर्मचारी भ्रयात् श्री एच श्रार० बावेजा, 'वरिष्ठ पर्यदेभक; श्रीमती बीा मल्होत्ना, कनिष्ठ पर्यवेक्षक; श्रीमती विमल शर्मा, बिकी सहायक; श्रीमती सरस्वती सक्सेना, विकी सहायक; श्री संदीप ग्ररोड़ा, टाइपिस्ट तथा श्री सूरज पाल, हेल्पर सुपर बाजार के मानी-टरिंग कक्ष में कार्य कर रहे हैं।

सुपर वाजार ने सूचित किया है कि मानीटरिंग कक्षा में कार्य कर रहे कर्म-चारियों के विरूद सभी तक कोई शिकायत प्राप्त_ानहीं हुई है और कक्ष में एकत्र की जाने वाली सूचना गोपनीय स्वरूप की नहीं है। ग्रभी तक किसी संसद सदस्य ने इस बारेमें कोई सूचना नहीं मांगी है।

प्रदेश को वस्तुओं का आवंटन

- 1. श्री ईश दत्त यादव : नया नागरिक आपूर्ति, रपभोता मामले श्रीर सार्वजनिकः दितरण मंत्री यह बताने की कृपा क**रेंगे** कित :
- (का) ग**त** तीन वर्षों के दौरान₋ नागरिक ग्रापूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश को किन-किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी माला में आबंटन किया गया है ;
- (ভা) चालुवर्षमें सभी वस्तग्रों का कम मार्जा में श्राबंटन किये जाने के क्या कारण हैं ; फ्रौर
- (ग) क्या इन वस्तश्रों का स्राबंटन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की श्राबादी, पिछड़ेपन, गरीबी स्रादि बातों को ध्यान में रखकर कया जाता है ग्रौर यदि हां, तो इन मानदण्डों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले घौर सार्वजनिक वितरण हैमंद्रालय में राज्य मंत्री ग्रौर वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अति-रिक्त कः र्य प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार सभी राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, को चावल, गेह, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा ग्रायातित खार्च तेल का ग्राबटन करती है एक विवरण दिया गया है (नीचे देखिए) जिसमें 1991, 1992 व 1994 में उत्तर प्रदेश को आबंटित चावल, गह लेवी चीनी, श्राया तत खाद्य तेल, साफ्ट कोक तथा िट्टी के तेल की माला दर्शायी गई है।